

pan>

Title: Introduction of the Compulsory Pre-marriage Medical Investigation Bill, 2016.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यक्तियों में रोगों का निदान, प्रबंध और निगरानी करने के लिए आशयित युग्मों की विवाह-पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा अनिवार्य करने, ऐसे युग्मों को जन्मे बालकों में रोगों के आगे फैलाव को रोकने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to make medical investigation of intending couples compulsory before marriage so as to diagnose, manage and monitor diseases in individuals, prevent further spreading of diseases in children born to such couples."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-